न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/150

हेमराज आत्मज रामनाथ उम्र 55 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राधेश्याम आत्मज गौरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मीरा बाई पुत्री सूरजमल पत्नी मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी दयानन्द कॉलोनी बीवनवा रोड जिला बून्दी ।
3. गोपाल आत्मज अम्बालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. जगदीश आत्मज भवाना दोहि‍ा अम्बालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अन्दोक्या तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक ।
5. बृजमोहन आत्मज भवाना दोहिता अम्बालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अन्दोक्या तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2020/153

हेमराज आत्मज रामनाथ उम्र 55 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राधेश्याम आत्मज गौरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मीरा बाई पुत्री सूरजमल पत्नी मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी दयानन्द कॉलोनी बीवनवा रोड जिला बून्दी ।

3. गोपाल आत्मज अम्बालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. जगदीश आत्मज भवाना दोहि अम्बालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अन्दोक्या तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक ।
5. बृजमोहन आत्मज भवाना देहिता अम्बालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अन्दोक्या तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से।
3. श्री अशोक चौधरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 18.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.05.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा एक अपील प्रारम्भिक डिक्री की तथा दूसरी अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 राधेश्याम ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 1382 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1392 रकबा 08 बीघा, खसरा नम्बर 1765 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1768 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1791 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1792 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1884 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1885 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 08 कुल रकबा 70 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी राधेश्यामक ा 1/2 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 5 का है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य मौके पर बाहमी बंटवारा 25 वर्ष पूर्व हो गया था । मौके पर बाहमी विभाजन के अनुसार ही वादी व प्रतिवादी काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये और विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि को पृथक अपने खाते में दर्ज करावे तथा पृथक लगान कायम करावे ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे तथा विभाजन अनुसार वादी का नाम पृथक खाते में दर्ज किया जावे तथा पृथक लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल नहीं करें तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

5. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद राजस्व लोक अदालत कैम्प बामनगॉव में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 24.05.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी । दिनांक 26.12.2017 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.05.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.12.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की बिना तलबी व सहमति के उक्त वाद को लोक अदालत में रखा जबकि प्रस्तुत प्रकरण विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा का था जिसमें समुचित साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर समुचित सुनवाई का अवसर दिये जाने पर ही वाद का निस्तारण किया जा सकता है । अपीलान्ट ने खातेदार रामजानकी बेवा सूरजमल, सीता पुत्री सूरजमल से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2013 को हिस्सा क्रय किया था तब से वह उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । परीक्षण न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.05.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.12.2017 निरस्त फमराये जावें ।

7. अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के साथ धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्टगण को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की अपीलान्टगण को सर्वप्रथम जानकारी मौके पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अंतिम बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्टगण के काबिज काश्त हिस्से से हट कर बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार खेत पर मेढबन्दी करने व प्रार्थी के काबिज काश्त आराजी पर अप्रार्थी द्वारा तरमीम नक्शे अनुसार अपनी बताये जाने व मौके पर कहा सुनी होने पर हल्का पटवारी से जानकारी प्राप्त करने पर जानकारी प्राप्त हुई । अपीलान्टगण ने दिनांक 05.10.2020 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 15.10.2020 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने परीक्षण न्यायालय में विभाजन एंव

स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । परीक्षण न्यायालय में उक्त वाद तलबी में था । इसी दौरान परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 23.05.2017 को पत्रावली पेश पर न लेकर दिनांक 24.05.2017 को बिना नोटिस तामील करवाए बिना जवाबदावा लिये इसे लोक अदालत कैम्प बामनगॉव मे लेजाकर अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया । लोक अदालत में अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई हैं । लोक अदालत में केवल सहमति के आधार पर ही निर्णय किये जाते हैं परन्तु परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत में अपीलान्टगण को सूचित किये बिना उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित की है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । इसी प्रकार अंतिम डिक्री राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में नहीं बनायी है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.05.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.12.2017 निरस्त फरमाये जावें ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री और अंतिम डिक्री जारी की है । परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.05.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.01.2017 बहाल रखे जावें ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम दोनों अपीलों में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. परीक्षण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 24.05.2017 को रखते हुए प्राथमिक डिक्री कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने वादी द्वारा उक्त वाद पेश किया गया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 18.04.2017 को दर्ज रजिस्टर किया और पत्रावली वास्ते प्रतिवादी जरिये सम्मन तलबी में दिनांक 23.05.2017 को नियत की गई । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 23.05.2017 के बजाय दिनांक 24.05.2017 को लोक अदालत कैम्प बामनगॉव में वादी की उपस्थिति दर्ज करते हुए निर्णित कर दी । इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए । लोक अदालत में पक्षकारान की सहमति के आधार पर निर्णय पारित किये जाते हैं । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय पारित किये हैं जो त्रुटिपूर्ण है । परीक्षण न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना तथा अपीलान्टगण को प्रोपर नोटिस तामील करवाये बिना उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । लोक

अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष सहमत हो । इसके अभाव में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.05.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में जब प्रारम्भिक डिक्री त्रुटिपूर्ण है तो ऐसी स्थिति में अंतिम डिक्री पर किसी प्रकार का विवेचन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2020/150 एवं अपील संख्या 2020/153 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.05.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.12.2017 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से सीपीसी की पालना करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित करें । प्रारम्भिक डिक्री पारित करने के पश्चात् राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.09.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा